राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,मुख्यालय,जयपुर।

क्रमांक एफ–4/मु0/याता./लेखा(9)/2019/456 दिनांक : 22-11-2019

कार्यालय–आदेश

सुपर लग्जरी बसों की आकस्मिक अनुबन्ध की बुकिंग नगण्य रहती है। अतः जनहित में आकस्मिक अनुबन्ध/संविदा पर उपलब्ध कराई जाने वाली वोल्वों/मर्सडीज/सुपर लग्जरी वातानुकूलित बसों के अधिकाधिक अनुबन्ध /संविदा पर उपलब्ध कराने को दृष्टिगत रखते हुये इस कार्यालय के आदेश संख्या एफ4/मु/याता/लेखा(9)/2016/291 दिनांक 30.06.2016 से निर्धारित दरों में आंशिक संशोधन करते हुये वोल्वों/मर्सडीज/सुपर लग्जरी वातानुकूलित बसों के आकस्मिक अनुबन्ध/संविदा की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

क्र.सं.	समय सीमा	स्थाई लागत	प्रतिभू राशि
1.	6 घण्टे तक	**15,000**	**10,000/–**
2.	12 घण्टे तक	**25,000**	**15,000/–**
3.	24 घन्टे तक	35,000	**20,000/–**

आकस्मिक अनुबन्ध पर उपलब्ध कराई जाने वाली वोल्वों/मर्सडीज/सुपर लग्जरी वातानुकूलित बसों के लिये उपरोक्त स्थाई लागत राशि के अतिरिक्त रू. 40.00 प्रति कि.मी. एवं वर्तमान में लागू टोल टैक्स, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार मानव संसाधन अधिभार ,मार्ग कर ,अस्थाई अनुज्ञा पत्र एवं जी. एस.टी. की पृथक से नियमानुसार वसूली की जावेगी ।

अन्य शर्ते एवं दिशा निर्देश :–

1. उक्त दरें राज्य एवं अन्तर्राज्यीय मार्गो में समान रूप से प्रभावी होगी। अन्य राज्य में अनुबन्ध हेतु अस्थाई अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिये व्यय होने वाली राशि यथा मार्ग कर, विशेष पथकर, यात्री कर, परमिट फीस, टोल टैक्स व समस्त प्रकार के अन्य कर अनुबन्ध कर्ता/पार्टी को वहन करने होगे।
2. पहाडी मार्गो एवं पर्वतीय क्षेत्रों में उपरोक्त दरों की डेढ गुणी राशि वसूली योग्य होगी।
3. समय सीमा एवं संचालित कि.मी. की गणना कार्यशाला से प्रस्थान कर,वापस कार्यशाला पहुँचने तक के समय व कि.मी. को आधार मानकर की जावेगी।
4. वाहन की निर्धारित बैठक क्षमता से अधिक यात्री होने पर अधिक यात्रियों का संचालित कि.मी. के अनुसार संबधित श्रेणी के लिये निर्धारित किराया दर से किराया पृथक से वसूली योग्य होगा।
5. यात्री दुर्धटना क्षतिपूर्ति योजना, 2000 के अन्तर्गत निर्धारित दुर्धटना क्षतिपूर्ति अधिभार राशि, एवम मानव संसाधन अधिभार राशि पृथक से यात्रियों की संख्या एवं वाहन की बैठक क्षमता जो भी अधिक हो के अनुसार वसूली योग्य होगी तथा टोल टैक्स एवं जी.एस.टी./अन्य कर का भुगतान/पुनर्भरण अनुबन्ध कर्ता/पार्टी द्वारा किया जावेगा।

6. अनुबन्ध/संविदा रदद करने के लिये कटौती योग्य विभागीय प्रभार :–

सविदा के लिये निर्धारित समय से पूर्व संविदा रद्द हेतु आवेदन की स्थिति	विभागीय प्रभार
48 घण्टे से पूर्व	10 प्रतिशत
24 –48 घण्टे तक	20 प्रतिशत
24 घण्टे के अन्दर	6 घण्टे के लिये बनने वाली राशि।

उक्त संशोधित दरें तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

22/11/19
(यू.डी.खान)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांकः–एफ4/मुख्या/याता/लेखा(9)/2019/456 दिनांकः 22-11-2019
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान परिवहन निगम, मु. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मु. जयपुर।
3. समस्त विभागाध्यक्ष ( ), राजस्थान परिवहन निगम, मु. जयपुर।
6. उप महा प्रबन्धक.(आई.टी.) राज.परि.निगम, मु.जयपुर उक्त दरों को निगम की बैवसाईट पर उपलब्ध करावे ।
5. उप महा प्रबन्धक.( )निगम सचिव/कार्यकारी प्रबन्धक( ) राज.परि. निगम मु.जयपुर।
6. जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम, ...जोन।
7. लेखाधिकारी (बजट) राज0परि0 निगम, मुख्यालय, जयपुर।
8. कार्यकारी प्रबन्धक (जनसम्पर्क) राजस्थान परिवहन निगम, मु0 जयपुर
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त/यातायात) राजस्थान परिवहन निगम, ...
10. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

22/11/19
(ओम प्रकाश शर्मा)
कार्यकारी प्रबन्धक (यातायात)